



प्रेषक,

सोमनाथ
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 2026

विषय:- जनपद वाराणसी में पचवार सोनबरसा नाले पर निर्मित सेतु के पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-21096/सीई-एचक्यू 1/LandACQ/वी0एन0एस0/2026-27, दिनांक 04.05.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में चालू कार्यों के मद, अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054-04-337-13-20-60 के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में पचवार सोनबरसा नाले पर निर्मित सेतु के पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण कार्य किये जाने हेतु तृतीय किशत के रूप में धनराशि ₹0 146.25 लाख (रुपये एक करोड़ छियालीस लाख पच्चीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्त / प्रतिबन्धों

- (1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (2) आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (5) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (6) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय प्रशासकीय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (7) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹0 146.25 लाख (रूपये एक करोड़ छियालीस लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371320 मार्ग एवं लघु सेतु के चालू कार्यों के लिए भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28.03.2026 में विभागाध्यक्ष को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 5- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- 12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजना/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।